

पूर्व सैनिकों को गंभीर ईलाज (कैंसर/डायलिसिस) के लिए ₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र
एक मुश्त चिकित्सीय उपचार अनुदान उपलब्ध कराने के निमित आवेदन – पत्र

खण्ड – "क"

भूतपूर्व सैनिक का विवरण

- | | | | | |
|----|--|----------------------------|-------------|--|
| 1. | नं० | रैंक | नाम | हाल का पासपोर्ट |
| | | | | फोटो चिपकाए |
| 2. | स्थाई पता :– (सेवा निवृति प्रमाण पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न करें) | | | |
| | ग्राम | | पोस्ट | |
| | जिला | | पिन | |
| | मोबाईल सं० | | | |
| 3. | वर्तमान पता :– | | | |
| | ग्राम | | पोस्ट | |
| | जिला | | पिन | |
| | मोबाईल सं० | | | |
| 4. | सेना में भर्ती होने की तिथि :– | | | 5. सेवा निवृति की तिथि :– |
| 6. | सेवा मुक्ति का कारण :– | | | |
| 7. | बिमारी से ग्रस्त होने/उपचार कराने की तिथि :– | | | |
| | (सैनिक/असैनिक सक्षम पदाधिकारी का चिकित्सीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) | | | |
| 8. | बैंक का नाम व शाखा..... | बैंक का IFSC/NEFT कोड..... | | } (बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति संलग्न करें जिसमें खाता संख्या तथा IFSC/NEFT दर्ज हों) |
| | बैंक का खाता संख्या | | | |

घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पूर्व में किसी भी स्रोत से गंभीर ईलाज (कैंसर/डायलिसिस) के लिए एक मुश्त चिकित्सीय उपचार अनुदान प्राप्त नहीं किया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है।

दिनांक :

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

नोट – आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–

- | | |
|--|---|
| 1. डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति | 2. पेंशन अदायगी आदेश (P.P.O) की छायाप्रति |
| 3. आधार कार्ड की छायाप्रति | 4. जि०सै०क०का० द्वारा जारी पहचान पत्र |
| 5. बैंक पास बुक के पहले पन्ने की छायाप्रति | 6. अधिकृत सैनिक/असैनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा दस्तावेज |

खण्ड - "ख"

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के व्यवहार हेतु)

कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन

9. आवेदक का विवरण जाँचा गया तथा सही पाया गया है। आवेदक को ₹ मात्र (रूपये मात्र) की एक मुश्त आर्थिक सहायता भुगतान हेतू अनुशंसा की जाती है। इनका नाम कार्यालय पंजी के क्रमांक दर्ज है।

दिनांक :-

कल्याण व्यवस्थापक का नाम व हस्ताक्षर

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा

10. कल्याण व्यवस्थापक श्री..... के जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आवेदक को ₹ /- (रूपये मात्र) एक मुश्त भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,

खण्ड - "ग"

सैनिक कल्याण निदेशालय

11. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न दस्तावेजों, अन्य साक्ष्य अभिलेखों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ₹ (रूपये मात्र) आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

सहायक निदेशक

सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची

12. आवेदक के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और सहायक निदेशक के अनुशंसा उपरांत आवेदक को ₹ (रूपये मात्र) आर्थिक सहायता भुगतान को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक :

निदेशक

सैनिक कल्याण निदेशालय

झारखण्ड, राँची